



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 325]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अगस्त 2015—श्रावण 23, शक 1937

### उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/4050/2015/अट्ठावन

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2015

क्रमांक बी -11-5 / 2015 भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13015 / 02 / 2012 — क्रेडिट — ॥ दिनांक 20 मार्च 2015 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश शासन ने राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम को लागू किये जाने हेतु जारी विस्तृत दिशा निर्देशों एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 13015 / 02 / 2012 — क्रेडिट—॥ दिनांक 20 मार्च 2015 में जारी प्रशासनिक अनुमोदन में दिए गए दिशानिर्देश के आधार पर निम्नलिखित बीमा कंपनियों के माध्यम से मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2015-16 में खरीफ एवं रबी के लिये अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है।

1. एच.डी.एफ.सी.एगों जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  2. आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  3. चौला मैंडल जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  4. रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  5. टाटा ए.आई.जी. जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2. मध्यप्रदेश राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना वर्ष 2015-16 खरीफ एवं रबी के लिए बीमा कंपनियों को जिलों/तहसीलों में उद्यानिकी फसलों के बीमा करने और उसके निष्पादन हेतु सूची निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	अधिसूचित फसल	अधिसूचित तहसील	कृषक श्रेणी	बीमा कंपनी
1	मुरैना	खरीफ फसले— टमाटर, बैंगन, प्याज,	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई.सी. आई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
		मिर्च			
		रबी फसले— टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज			
		आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			

2	भिण्ड	खरीफफसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें — टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
3	श्योपुर कलां	खरीफफसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें — टमाटर, बैंगन, फूलगोवी, पत्ता गोवी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	टाटा ए.आई. जी. जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
4	ग्वालियर	खरीफफसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें — टमाटर, बैंगन, फूलगोवी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
5	शिवपुरी	खरीफफसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें — टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
6	दतिया	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें — टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

7	अशोक नगर	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें – टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोवी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
8		खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें – टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोवी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
9	नीमच	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, संतरा मिर्च रबी फसलें – टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
10		खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, संतरा पपीता मिर्च रबी फसलें – टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

11	मन्दसौर	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, संतरा पपीता मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
12	देवास	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, संतरा मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	एच.डी.एफ.सी. एरो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
13	आगरा मालवा	खरीफ — टमाटर, बैंगन, प्याज, संतरा मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
14	रतलाम	खरीफ फसलें फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, संतरा पपीता मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोवी, पत्ता गोवी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

15	उज्जैन	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, संतरा मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
16	झाबुआ	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
17	बड़वानी	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, केला पपीता मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
18	बुरहानपुर	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, केला मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	टाटा ए.जी. जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

		खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च			
19	इंदौर	रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी.आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
20	खण्डवा	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, केला पपीता मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
21	धार	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, केला संतरा पपीता मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

22	खरगौन	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, केला पपीता मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
23	अली— राजपुर	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
24	सीधी	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
25	अनूपपुर	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

26	रीवा	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
27	सतना	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीले	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
28	सिंगरौली	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
29	शहडोल	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें—टमाटर , बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

30	उमरिया	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
31	पन्ना	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
32	दमोह	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
33	छतरपुर	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

		खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	रिलायंस जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
34	टीकमगढ़	रबी फसलें —टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम			
35		खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च			
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम			
36	छिन्दवाड़ा	संतरा खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	एच.डी.एफ.सी एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम			
37		खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च			
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम			

38	कटनी	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
39		खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम			आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
40	डिंडोरी	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
41		खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम			आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

42	जबलपुर	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
43	बालाघाट	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
44	भोपाल	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
45	सीहोर	संतरा खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

		संतरा			
46	विदिशा	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			
		संतरा			
		खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च			
		रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू			
		लहसुन			
47	राजगढ़	धनियाँ	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		हरी मटर			
		आम			
		खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च			
		रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			
48		रायसेन			
	रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू				
	लहसुन				
	धनियाँ				
	हरी मटर				
	आम				
	संतरा				
	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च				
	रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू				
	लहसुन				
49	होशंगाबाद	धनियाँ	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
		हरी मटर			
		आम			
		संतरा			
		खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च			
		रबी फसलें—टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू			
		लहसुन			
		धनियाँ			
		हरी मटर			
		आम			

		संतरा		
50	बैतूल	खरीफ फसलें—टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक
		रबी फसलें —टमाटर, बैंगन, फूलगोबी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम		आई.सी.आई. सी. आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
51	हरदा	संतरा खरीफ फसलें — टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च रबी फसलें — टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज आलू लहसुन धनियाँ हरी मटर आम	जिले की समस्त तहसीलें	ऋणी और अऋणी कृषक

3. मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुल देय प्रीमियम राशि (जिसमें कृषकों द्वारा देय प्रीमियम राशि भी सम्मिलित है), जोखिम अवधि, आवरीत जोखिम बीमित राशि का बीमा हेतु जिलेवार अंतिम तिथियाँ स्वेच्छिक इंडेक्स प्लस कवर ओलावृष्टि जोखिम आदि परिशिष्ट 1 (अ), परिशिष्ट 2 (अ), अनुसार है। जिले एवं तहसीलवार सन्दर्भित एवं वैकल्पिक मौसम केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट – 3 'अ' अनुसार रहेगा। जिसे विभाग की बेव साईट [www.mphorticulture.gov.in](http://www.mphorticulture.gov.in) पर देखा जा सकता है।

4. इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2015–16 मौसम खरीफ एवं रबी में निम्नानुसार किया जाएगा :—

- 4.1 यह योजना अधिसूचित फसल व क्षेत्र के सभी किसानों को उपलब्ध होगी किन्तु योजना ऋणी किसानों के लिये अनिवार्य तथा अऋणी किसानों के लिये स्वैच्छिक होगी। वर्ष 2015–16 में ओलावृष्टि जोखिम इंडेक्स प्लस कवर के रूप में बीमित किये जाने वाले कृषकों हेतु सम्मिलित किया गया है। जो बीमित किये गये कृषकों ऋणी एवं अऋणी हेतु स्वैच्छिक होगी।
- 4.2 इस योजना हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार ऋणी किसान वही है, जिनके लिये अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिये संदर्भित इकाई क्षेत्र में वित्तीय संस्थान/बैंक से अनुमोदित ऋण/ साख स्वीकृत किया गया है।

4.3 बीमित राशि लगभग कृषि कार्य खर्च के बराबर रहेगी और एच.डी.एफ.सी.एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमि., आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमि., रिलायंस जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमि., चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमि. एवं टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमि. द्वारा क्रियान्वयन के पूर्व परिशिष्ट-1 (अ) अनुसार घोषणा की जाएगी। व्यक्तिगत कृषक के लिए बीमित राशि कृषक द्वारा घोषित जोत के अन्तर्गत अधिसूचित फसल के लिए रकबा (हेक्टेयर में) एवं अधिसूचना में दर्शायी गयी बीमित राशि प्रति हेक्टेयर का गुणांक होगा। गणना निम्न सूत्रानुसार की जायेगी।

(बीमित राशि = जोत के अन्तर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर) x पूर्व निर्धारित बीमा राशि प्रति हेक्टेयर)

4.4 फसलवार जोत के अन्तर्गत क्षेत्र की प्रति फसल के आधार पर निम्नानुसार गणना होगी :—

अ. ऋणी कृषक :—अधिसूचित फसल के लिए जोत के अन्तर्गत रकबे की घोषणा उसके द्वारा पहले ही, वित्तीय संस्था में उसकी अधिकतम ऋण सीमा (मैक्जीमम बारोइंग लिमिट, एमबीएल) निश्चित करने के उद्देश्य के लिए ऋण आवेदन पत्र में दिए गए आधार पर की जाती है।

ब. अऋणी कृषक :— किसान बीमा प्रस्ताव पत्र में प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए जोत के अन्तर्गत रकबे की घोषणा करेगा।

4.5 इस योजना का संचालन अधिसूचित संदर्भित क्षेत्र में क्षेत्र दृष्टिकोण (एरिया एप्रोच) सिद्धांत के आधार पर होगा। क्षेत्र दृष्टिकोण का आशय, संदर्भित इकाई क्षेत्र से है। संदर्भित इकाई क्षेत्र को फसलों की जोखिम स्वीकार करने और दावा आंकलन के लिए बीमित इकाई क्षेत्र/सन्दर्भित मौसम केन्द्र को माना गया है। चयनित बीमा कंपनी द्वारा संबंधित जिले में 10 से 15 कि.मी. की त्रिज्या में स्थापित मौसम केन्द्रों की सूची परिशिष्ट - 3 'अ' में उपलब्ध है। संदर्भ मौसम केन्द्र जिले में अनुमोदित स्वचलित मौसम केन्द्र के रूप में ही मान्य होगा, तथा बेकअप मौसम केन्द्र के रूप में भारतीय मौसम विभाग का नजदीकी मौसम केन्द्र या नजदीकी स्वचलित मौसम केन्द्र को मान्य किया जायेगा।

4.6 प्रीमियम दर की गणना वास्तविक आधार पर मानक प्रीमियम दर विधि (स्टैंडर्ड प्रीमियम रेटिंग मेथेडोलोजी), का उपयोग कर की गई है। किसान द्वारा शुद्ध प्रीमियम राशि व्यावसायिक फसल के लिये राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम द्वारा निर्धारित प्रीमियम राशि के बराबर देय होगी। प्रीमियम राशि का 50% कृषक द्वारा तथा शेष बची हुई प्रीमियम राशि का राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा 50:50 के अनुपात में अनुदान के रूप में वहन किया जायेगा (फसलवार क्षेत्रवार व्यौरा परिशिष्ट-1 (अ) में उपलब्ध है।

4.7 प्रतिकूल मौसम घटनाक्रम की वजह से एवं योजना की शर्तों एवं प्राप्त प्रीमियम राशि तथा भुगतान सारणी के अधीन देय समस्त क्षतिपूर्ति/भुगतान हेतु संबंधित बीमा कंपनी एच.डी.एफ.सी.एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमि./आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमि./रिलायंस जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमि./चोला मण्डलम जनरल

इंश्योरेन्स कंपनी लिमि./टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमि. उत्तरदायी होगी। सभी प्रकार के दावों का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

**4.8 बैंकों के लिये सेवा शुल्क :**— नोडल बैंकों को कृषक द्वारा प्रेषित प्रीमियम राशि पर 4 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जायेगा।

##### **5. दावा भुगतान प्रक्रिया :—**

- 5.1** दावा राशि का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी द्वारा मौसम केन्द्र से कम तापमान, अधिक तापमान, बेमौसम वर्षा, बीमारी अनुकूल मौसम एवं कीट अनुकूल मौसम के आंकड़े प्राप्त होने पर योजना के प्रावधानों के अनुसार (परिशिष्ट-1 (ब) से — 5 (ब) जिसे विभाग की बेवसाइट [www.mphorticulture.gov.in](http://www.mphorticulture.gov.in) पर देखा जा सकता है) कृषकों को किया जायेगा।
- 5.2** परिशिष्ट 1 (ब) से परिशिष्ट 5 (ब) पर दर्शाई गई जिलेवार टर्मशीट में उल्लेखित आंकड़ों में भिन्नता पाये जाने पर कम्पनी द्वारा प्रस्तुत टर्मशीट को अंतिम माना जायेगा।
- 5.3.** चालू वर्ष में मौसम के आंकड़ों का स्त्रोत जिलेवार एवं तहसीलवार परिशिष्ट-3 में दर्शाया गया है। दावा प्रक्रिया स्वचलित होगी। संबंधित बीमा कंपनी द्वारा दावों का आंकलन प्राप्त वास्तविक मौसम के आंकड़े के आधार पर किया जायेगा, बीमित कृषक के खाते में शीर्ष बैंक वित्तीय संस्था का उपयोग करते हुये दावा राशि स्वयं ही जमा करा दी जायेगी।
- 5.4** ओलावृष्टि आपदा की स्थिति में लिखित रूचना ई-मेल, वॉट्सएप एवं पत्र द्वारा 48 घण्टों के भीतर बीमा कंपनी को दी जायेगी तथा 72 घण्टों के भीतर बीमा कंपनी संबंधित उद्यान अधिकारी के साथ सर्वे कर क्षतिपूर्ति दावों की प्रक्रिया प्रांभ करेगी।
- 6.** अऋणी कृषकों का भौतिक सत्यापन संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी और उप/सहायक संचालक उद्यानिकी के द्वारा किया जायेगा तत्पश्चात् ही संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी प्रक्षेत्र द्वारा प्रीमियम अनुदान का भुगतान किया जायेगा।
- 7.** सभी बीमा कंपनियों को बीमे की कार्यवाही बैंकों के माध्यम से करना होगा।
- 8.** समर्स्त वित्त शाखाओं/बैंकों को बीमित किये गये एवं लाभान्वित कृषकों की सूची दिये गये प्रारूप परिशिष्ट 4 'अ' में सॉफ्ट कापी में उपलब्ध करानी होगी। जिसे चयनित बीमा कंपनी, किसान पोर्टल, [www.farmer.gov.in/insurance](http://www.farmer.gov.in/insurance) पर अपलोड करेगी। कृषक सूची के बिना प्राप्त घोषणा पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं इसकी समर्स्त जिम्मेदारी संबंधित बैंक/वित्त शाखाओं की होगी।
- 9.** जिले हेतु चयनित बीमा कंपनी की टर्मशीट पर अऋणीय कृषकों का बीमा समर्स्त बीमा कंपनी द्वारा किया जा सकता है एवं ऋणीय कृषकों का बीमा करने का अधिकार चयनित बीमा कंपनी को होगा। बीमित कृषकों के दावा भुगतान का लाभ उन्हे सुनिश्चित रूप से, मिले इसका उत्तरदायित्व भी बीमा कंपनियों का होगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।
- 10.** संबंधित जिले में 10 से 15 कि.मी. की त्रिज्या में स्वचलित मौसम केन्द्र NCIP गार्डलाईन में अनुमोदित किसी भी संस्था Skymet/NCMSL/WRMS etc. से स्थापित कराने की जिम्मेदारी चयनित बीमा कंपनी की होगी। समय समय पर इसका सत्यापन/जाँच भारतीय मौसम केन्द्र एवं अन्य पंजीकृत संस्था द्वारा कराया जावेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीमा कंपनी एवं मौसम आंकड़े उपलब्ध कराने वाली संस्था के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।
- 11.** बीमा कंपनियों को फसल बीमा की जानकारी के संबंध में सूचना/रसीद कृषकों को उपलब्ध करानी होगी।
- 12.** सभी बीमा कंपनियों जो इस योजना के कार्यान्वयन में भाग ले रही हैं, संबंधित जिले में विकासखण्ड रत्तर/ग्राम पंचायत रत्तर पर, जिला कलेक्टर, जिला उद्यानिकी अधिकारी के प्रतिनिधि एवं कृषकों के साथ बैठक कर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार बीमा कंपनियों द्वारा किया जायें तथा ग्राम पंचायतों में पोस्टर एवं बैनर लगाये जाए। क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी योजना का प्रचार प्रसार बीमा कंपनी द्वारा किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रवीर कृष्ण, प्रमुख सचिव.

कल्याणदेव राज्य गोपन अवधित करत थीं। योजना नीति संख्रित 2015 एं रही 2015-16

कठी एवं अक्टोबर कृषको हेतु स्वीकृत अतावृष्टि जोखिम इडेक्स लास कवर फसलवार फीनिट राशि, फीनिट राशि की दरें, शासकीय अनुदान और कृषक द्वारा देय ग्रीष्मियम

क्र.	अधिकृत जिले	फसल	जोखिम अवधि	प्रीमियम राशि प्रति हेटेपर कू	प्रीमियम राशि प्रति हेटेपर कू	राज्य सरकार का प्रीमियम अनुदान प्रति हेटेपर कू	केन्द्र सरकार का प्रीमियम अनुदान प्रति हेटेपर कू	बीमा करने की अंतर्राजि		बीमा करने में घोषा पत्र प्रीमियम राशि के साथ ज्ञा करने की अंतर्राजि
								वीमा करने की अंतर्राजि	वित्तीय दृष्टि	
1.	मध्य के समस्त 51 जिले	खरीक फसल - गिर्व	1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2016	15000	1800	450	450	900	31 जुलाई 2015	31 जुलाई 2015
2.	छिंदवाड़ा, शाजपुर, रुद्रपुर, उज्जैन, मंतीरी, देवास, रुद्रपुर, धार, हारागढ़, हट्टा, सिंहर, विराज, रायगढ़, गोम्बा, खारदा, धार,	खरीक फसल - सताग	1 जनवरी 2016 से 15 अक्टूबर 2016	18000	2160	540	540	1080	31 जुलाई 2015	31 जुलाई 2016
3.	इलाहाबाद, खरोनी, खारदा, धार, बुहारपुर	खरीक फसल - केला	1 जनवरी 2016 से 30 अप्रैल 2016	33000	3660	990	990	1860	31 जुलाई 2015	31 जुलाई 2015
4.	इलाहाबाद, खरोनी, खारदा, धार, मंतीरी, रुद्रपुर एवं शाजपुर	खरीक फसल - पापीता	1 जनवरी 2016 से 30 अप्रैल 2016	22500	2700	675	675	1350	31 जुलाई 2015	31 जुलाई 2015
5.	मध्य के समस्त 51 जिले	रोटी कार्बो-टाइट, बैन, फूल गोभी, पत्ता गोभी एवं चापाज	1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016	18000	2160	540	540	1080	31 दिसंबर 2015	31 दिसंबर 2015
6.	मध्य के समस्त 51 जिले	रोटी कार्बो-लहसुन	1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016	18000	2160	540	540	1080	31 दिसंबर 2015	31 दिसंबर 2015
7.	मध्य के समस्त 51 जिले	रोटी कार्बो - धनिया	1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016	7500	900	225	225	450	31 दिसंबर 2015	31 दिसंबर 2015
8.	मध्य के समस्त 51 जिले	रोटी फसल - आदा	1 जनवरी 2016 से 15 अप्रैल 2016	18000	2160	540	540	1080	31 दिसंबर 2015	31 दिसंबर 2015
9.	मध्य के समस्त 51 जिले	रोटी फसल - आदा	1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016	30000	3600	900	900	1080	31 दिसंबर 2015	31 दिसंबर 2015
10.	मध्य के समस्त 51 जिले	रोटी फसल - हीरी भट्टर	1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016	7500	900	225	225	450	31 दिसंबर 2015	31 दिसंबर 2016
11.	मध्य के समस्त 51 जिले	रोटी फसल - आम	1 जनवरी 2016 से 30 अप्रैल 2016	15000	1800	450	450	900	31 दिसंबर 2015	31 दिसंबर 2016

परिशिष्ट-४ {अ}

मध्यपादेश राज्य मीमस आणारित फसल बीआ योजना नोसम खरीफ 2015 एवं रवी 2015-16 योजना अंतर्गत उद्यानिकी फसले हेतु वीकित किंवे गेवे कृषकां कांसी का प्राण